भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 745

दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए ढांचा

745. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से मुद्रीकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों के मूल्य और अन्य मानदंड निर्धारित करने के लिए कोई ढांचा निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए उपयुक्त मॉडल निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति के वित्तीय विश्लेषण का मूल्यांकन करने के लिए किस समय-सीमा पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) जिसे सभी मॉडलों का संग्राहक माना जाता है, ने भारतीय संदर्भ में नए मॉडल बनाने के प्रयास किए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क)**:** सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है जो प्रमुख या गैर-प्रमुख संपत्ति हो सकती हैं। संबंधित मौजूदा विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, कोर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी), के माध्यम से किया जाता है, जहां बोली प्रक्रिया सहित मुद्रीकरण संबंधित परिसंपत्ति स्वामित्व वाली ईकाई द्वारा किया जाता है, न कि केंद्रीयकृत तंत्र के माध्यम से। गैर-प्रमुख परिसंपत्तियां जोकि अधिशेष (अप्रयुक्त या कम उपयोग की जाने वाली) में हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर भूमि, भवन और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, उन्हें बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से मुद्रीकृत किया जाता है।

(ख): परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए वित्तीय विश्लेषण और उपयुक्त मॉडल का निर्धारण आमतौर पर व्यवहार्यता अध्ययन के हिस्से के रूप में किया जाता है और समय सीमा मामला-दर-मामला भिन्न होती है।

(ग): अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) वित्तीय विश्लेषण, परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की व्यवहार्यता रिपोर्ट और परिसंपत्ति स्वामित्व प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए उपयुक्त मॉडल पर विचार करता है।

*****